इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 477] भोपाल, शनिवार, दिनांक 4 दिसम्बर 2021—अग्रहायण 13, शक 1943

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 दिसम्बर 2021

क्र. पं.रा.-पंचायत-2021-14841.—अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के लिए विशिष्ट उपबन्ध के प्रावधानों के अनुक्रम में, मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 129ख (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, अनुसूचित क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले सभी राजस्व ग्रामों को धारा 129क (ख) में परिभाषित ग्राम के रूप में अधिसूचित करती है:

परन्तु ऐसी अधिसूचित ग्राम सभा, मध्यप्रदेश अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा (गठन, सम्मिलन की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन) नियम, 1998 के नियम 4 के तहत अधिसूचित होने पर, उपरोक्तानुसार अधिसूचित ग्राम के बारे में जारी यह अधिसूचना संशोधित मानी जावेगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमाकांत उमराव, प्रमुख सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2021.